संख्याः-38/XIV-1/10-5(8)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 देहरादून दिनॉक 20 जनवरी, 2010

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के गठन एवं संचालन (राज्य सेक्टर) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-7409/नियो0/सहकारी परिषद/2009-10 दिनांक 07 जनवरी,2010 एवं पत्र संख्याः-1053/XIV-1/2009 दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के गठन एवं संचालन में उल्लखित मदों हेतु रू0 10.00 लाख (दस लाख रूपये मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था द्वारा केवल आवश्यक व्यय ही किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(3) इस सम्बन्ध में सचिव राज्य सहकारी परिषद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में परिषद के संचालन एवं गठन पर वित्तीय सहायता की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय की जाय।

(4) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि का व्यय परिषद को अनुमन्य सुविधाओं/मदों पर वास्तविक व्यय तथा संगत नियमों के अन्तर्गत बिलों के सत्यापन के उपरान्त ही की जाय।

(5) उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा किसी ऐसी मद में किया जाता है, जो अनुमन्य नहीं है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(6) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह का व्यय विवरण अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित् किया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति

शेष-

अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में नितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–20–सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन 00–20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–334/XXVII-4/2009 दिनांक 14.01.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्याः– 38 /XIV–1/10–5(8)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड सहकारी परिषद।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।